

विभाग के अर्न्तगत गठित आयोग

राज्य अनुसूचित जाति आयोग :

राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार का गठन माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के द्वारा 06 जुलाई, 2010 में किया गया था। वर्तमान अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के उपरान्त आयोग द्वारा चौतरफा सक्रिय पहल की गई। आयोग की टीम ने सभी जिलों में भ्रमण किया तथा जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षात्मक बैठकें की। इन बैठकों में जिला समाहर्ता एवं पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल होते हैं।

आयोग द्वारा किये गये भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण हुआ है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आयोग के साथ-साथ वर्तमान सरकार के प्रति आस्था और उम्मीद जगी है।

आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 का अनुपालन तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास एवं राजनीतिक भागीदारी को प्रमुख मुद्दा बनाया गया तथा उसे हर स्तर पर सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित विभागों को निदेशित किया गया है।

आयोग द्वारा जिला में समीक्षात्मक एवं अनुश्रवण बैठकें दो सत्रों में संचालित की जाती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत समीक्षात्मक बैठक :- प्रथम सत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 तथा संशोधित नियम, 2014 के तहत अनुश्रवण एवं समीक्षात्मक बैठक की जाती है।

उपरोक्त बैठक में अनुसूचित जातियों के गम्भीर अत्याचार एवं उत्पीड़न से संबंधित काण्डों/वादों की निष्पादन के लिए उक्त अधिकारियों के साथ गम्भीर विमर्श किया जाता है तथा दिये गये निदेशों का अनुपालन कराया जाता है।

विकास योजनाओं की समीक्षा :- बैठक के दूसरे सत्र में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास एवं उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

उपरोक्त बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को अनुपालन का निदेश दिया जाता है।

अनुसूचित जातियों का सामाजिक उत्पीड़न एवं गम्भीर घटनाओं की जाँच :- समाज के दबंगों एवं शक्तिशाली लोगों द्वारा आज भी अनुसूचित जातियों का दमन, उत्पीड़न, विस्थापन एवं महिलाओं के साथ यौन अत्याचार की घटनाओं का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। जिसमें पुलिस एवं जिला प्रशासन के सक्षम पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। घटनाओं को लेकर वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर पीड़ितों को राहत एवं सुरक्षा प्रदान कराया जाता है तथा गम्भीर मामलों की आयोग कार्यालय में सुनवाई की जाती है।

अन्तराष्ट्रीय भ्रमण :- 24-27 नवम्बर, 2015 को काठमांडौ, नेपाल में आयोजित पीपुल्स सार्क सम्मेलन में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विद्यानन्द विकल शामिल हुये तथा अन्तराष्ट्रीय सार्क दलित संसद सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत से आये अन्य प्रतिनिधियों में माननीय सांसद, श्री उदित राज, श्री रामदास अठालवे एवं मुंगीकर सहित सैकड़ों दलित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

माननीय पटना उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करने की पहल :

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजकों को पदस्थापित किया गया है, वे SC/ST मामले की निगरानी तथा समुचित देख-रेख कर रहें हैं।

राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मामले की स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा की गई है :-

क्र०	जिला का नाम	हत्या	बलात्कार	उत्पीड़न	भूमि विवाद
1.	पटना	3	2	2	0
2.	भोजपुर	2	1	2	0
3.	बक्सर	1	1	2	0
4.	कैमूर	0	1	0	1
5.	सासाराम	2	1	1	1
6.	वैशाली	1	1	1	0
7.	मुजफ्फरपुर	0	2	3	0
8.	छपरा	0	0	2	0
9.	सिवान	0	0	2	0
10.	बेतिया	2	1	0	0
11.	गोपालगंज	0	0	0	1
12.	सीतामढ़ी	3	0	0	0
13.	मधुबनी	2	2	0	0
14.	किशनगंज	0	0	2	0
15.	जमुई	1	0	0	0
16.	अररिया	2	0	2	5
17.	नवादा	39	0	0	0
	कुल	58	12	19	8

सुनवाई : राज्य अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय में गम्भीर मामले को लेकर लगातार सुनवाईयाँ की जा रही हैं। दिनांक-29.02.2016 को रेल महिला सिपाही चम्पा देवी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई की गयी जिसमें आई.जी. कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना, ए.आई.जी. मुख्यालय, डी.आई.जी., रेल एवं पटना रेल एस.पी. आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। आयोग में कुल 16 गम्भीर मामले की सुनवाई कर पीड़ितों को लाभ दिलाया गया है।

अभ्यावेदनों का निष्पादन :- आयोग में 2015 में 1580 तथा फरवरी, 2016 तक 260 कुल 1840 अभ्यावेदन डाक अथवा पीड़ितों द्वारा हाथोंहाथ प्राप्त हुए हैं जिसमें 2015 में 1168 तथा फरवरी, 2016 तक 294 कुल 1462 अभ्यावेदनों का निष्पादन किया गया है। इसका व्यापक, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस मद में 237.60 लाख स्वीकृत की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस मद में गैर योजना मद से कुल 237.60 लाख के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 5614 / पटना-15 दिनांक 18.11.2009 द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है। सरकार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु कृत संकल्प है। एक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी अत्यंत कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करे तथा समाज में सदियों से उपेक्षित और शोषित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे। इस परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करने के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे योजनाओं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता है, उन सभी योजनाओं की समीक्षा करता है और आवश्यकतानुसार अपने सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित करता है। इसके अलावे अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुसूचित जनजाति के लोग स्वयं अपनी विभिन्न समस्याओं/शिकायतों से अवगत कराते रहते हैं। साथ ही आयोग के सदस्यों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से प्राप्त समस्याओं का प्रभावशाली अनुश्रवण कर संबंधित विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों को त्वरित समुचित कार्रवाई हेतु निदेशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों को आयोग कार्यालय में बुलाकर सुनवाई की जाती है, जिसके फलस्वरूप इन वर्गों के लोगों में अपने अधिकार एवं हक के प्रति चेतना जागृत हुई है।

